



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-28092021-230007
CG-MH-E-28092021-230007

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 418]
No. 418]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 28, 2021/आश्विन 6, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 28, 2021/ASVINA 6, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 9 सितम्बर, 2021

सं. टीएएमपी/15/2021-पीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा लदे कंटेनरों के कंटेनर स्कैनिंग प्रशुल्क के निर्धारण के लिए परादीप पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/15/2021-पीपीटी

पारादीप पत्तन न्यास

आवेदक

गणपूर्ति

- (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(सितम्बर 2021 के 07 वें दिन पारित)

यह मामला लदे कंटेनरों के कंटेनर स्कैनिंग प्रशुल्क के निर्धारण के लिए पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

1.2. पीपीटी ने 24 फरवरी, 2021 के अपने पत्र संख्या टीडी/टीएम/जन-250/2020-21/399 के द्वारा लदे कंटेनरों के कंटेनर स्कैनिंग प्रशुल्क निर्धारण का प्रस्ताव दायर किया था। चूंकि वह प्रस्ताव अधूरा था, 2 मार्च 2021 के पत्र के द्वारा पीपीटी को प्रारूप दरमान, प्रयोक्ताओं की सूची और विषयक प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करने वाला बोर्ड का संकल्प प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। पीपीटी ने 17 मार्च, 2021 के ई-मेल के द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत की।

2.1. पीपीटी द्वारा 24 फरवरी, 2021 के अपने पत्र संख्या टीडी/टीएम/जन-250/2020-21/399 में किये गए निवेदन इस प्रकार है:-

- (i). पीपीटी ने मैसर्स स्मिथ डिटेक्शन (एशिया पैसिफिक) के माध्यम से 29.68 करोड़ रु. की कुल लागत पर एक चल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम (एमएक्ससीएस) खरीद कर लगाया है। उपस्कर की खरीद पत्तन ने व्यापार करने की सुमगता के अंतर्गत कंटेनरों के भौतिक परीक्षण और ठहराव समय को कम करने के लिए की है। उक्त लागत में 2 वर्ष की ऑन-साइट वारंटी और कलपुर्जों और खपतकारी पुर्जों के साथ 08 वर्ष का समग्र वार्षिक अनुरक्षण संविदा (सीएएमसी) शामिल है। एमएक्ससीएस की खरीद और लगाये जाने के प्रस्ताव को न्यासी मंडल ने 23.03.2018 की बैठक में संकल्प संख्या 69/2017-18 के द्वारा अनुसमर्थन किया।
- (ii). न्यासी मंडल ने 29.01.2021 की बैठक संख्या 04/2020-21 में संकल्प संख्या 90/2020-21 के द्वारा कंटेनर स्कैनर की लागत को पीआईसीटी का अभिन्न अंग मानते हुए लदे कंटेनरों के लिए 158/- रु. प्रति कंटेनर की दर से कंटेनर स्कैनिंग प्रशुल्क निर्धारित करने का संकल्प किया। एमएक्ससीएस के सफल परिचालन के पश्चात् उसे नियमित परिचालन के लिए सीमाशुल्क आयुक्त कार्यालय को हस्तांतरित किया गया।

2.2. तदनुसार, वर्ष 2020-21 और उससे आगे के लिए लदे कंटेनरों के 158/-रु. प्रति कंटेनर स्कैनिंग प्रभार के प्रस्तावित प्रशुल्क को पीपीटी द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

2.3. पीपीटी द्वारा 24 फरवरी, 2021 के प्रस्ताव में किये गए अन्य मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं:

- (i). पीपीटी ने मैसर्स स्मिथ डिटेक्शन (एशिया पैसिफिक) के माध्यम से 29.68 करोड़ रु. की कुल लागत पर एक चल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम (एमएक्ससीएस) खरीद कर लगाया है। उपस्कर की खरीद पत्तन ने व्यापार करने की सुमगता के अंतर्गत कंटेनरों के वास्तविक परीक्षण और ठहराव समय को कम करने के लिए की है। उक्त लागत में 2 वर्ष की ऑन-साइट वारंटी और कलपुर्जों और खपतकारी पुर्जों के साथ 08 वर्ष का समग्र वार्षिक अनुरक्षण संविदा (सीएएमएस) शामिल है। स्थापना के पश्चात्, एमएक्ससीएस ने 18.12.2020 को स्थल स्वीकार्य परीक्षण पास कर लिया है और सीमाशुल्क कर्मचारी आपरेटरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पूरा हो गया है। एमएक्ससीएस के एक महीने के सफल परीक्षण चालन के पश्चात् उसे नियमित परिचालन के लिए सीमाशुल्क अधिकारियों को सौंप दिया जायेगा जैसा पहले आईपीए ने सूचित किया था। एमएक्ससीएस की खरीद और लगाये जाने के प्रस्ताव को न्यासी मंडल ने 23.03.2018 की बैठक में संकल्प संख्या 69/2017-18 के द्वारा अनुसमर्थन किया।
- (ii). आरंभ में, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) [तत्कालीन पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस)] ने 31.01.2018 के पत्र के द्वारा निदेश दिया था कि पत्तन द्वारा एमसीएक्सएस के परिचालन के लिए व्यापार पर फिलहाल कोई उप-कर नहीं लगायेगा और बाद में पत्तन पूंजीगत लागत की भरपाई के लिए बजटीय समर्थन का एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। (पीपीटी ने एमओपीएसडब्ल्यू पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।) बाद में, एमओएस ने 12.07.2018 के पत्र के द्वारा सभी महापत्तनों को एमएक्ससीएस की लागत वसूली के लिए प्रासमिक दरों का अनुपालन करने की सूचना दी और परियोजना लागत का पता लगाने के पश्चात् प्रशुल्क निर्धारण के लिए प्राधिकरण को प्रस्ताव भेज सकता है (पीपीटी ने एमओपीएसडब्ल्यू के पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।) 12.06.2018 को आईपीए सम्मेलन कक्ष में आयोजित हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि, परियोजना लागत का पता लग जाने के पश्चात् संबंधित पत्तन लागत वसूली के अनुमोदन के लिए प्राधिकरण को प्रासमिक दरें दायर करेंगे।
- (iii). एमएक्ससीएस की लागत और परिचालन लागतों को हिसाब में लेने के पश्चात् यह व्युत्पन्न होता है कि 10 वर्ष के भीतर लागत की वसूली के लिए पीपीटी को प्रति कंटेनर 6,796/- रु. प्रति कंटेनर की दर से स्कैनिंग प्रभार निर्धारित करने होंगे (पीपीटी ने परिकलन प्रस्तुत किया है। पीपीटी में कंटेनर प्रहस्तन की

मात्रा नितलीय होने के कारण उक्त दर निकटवर्ती पत्तनों की दर से हद से ज्यादा अधिक है (अर्थात् कोलकाता 215/-रु. और विजाग 152/-रु.) प्राधिकरण द्वारा कंटेनर प्रहस्तन के लिए पीपीटी में यथा अधिसूचित औसत दर लगभग 4000/-रु. है, 6,796/-रु. प्रति कंटेनर की स्कैनिंग लागत व्यवहारिक प्रतीत नहीं होती। इसके अतिरिक्त, कंटेनरों की स्कैनिंग करना अब विनियामक द्वारा अनिवार्य बना दिया गया है और उक्त प्रासमिक दर पर लागत वसूली कंटेनरों की अत्यधिक कम मात्रा होने के कारण नियोजित नहीं की जा सकती। एमएक्ससीएस के लागत जमा 16% प्रतिफल पर पूंजीगत और परिचालन लागतों का विस्तृत परिकलन, पीपीटी द्वारा यथा प्रस्तुत नीचे दिया जा रहा है:-

क्र.सं.	विवरण	प्राधिकरण द्वारा केडीएस के लिए यथासुविचारित	पीपीटी का आकलन (प्राधिकरण द्वारा केडीएस के लिए यथाअनुमोदित)
1	पीपीटी में प्रहस्तित लदे एक्जिम कंटेनरों की संख्या		
क.	2017-18 में लदे एक्जिम कंटेनरों की वास्तविक संख्या (वास्तव के अनुसार)	4,20,513	(*)6837
ख.	आईसीओएम रिपोर्ट से ली गई मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर)	1.028%	
	2018-19 में सीएजीआर लदे एक्जिम कंटेनरों की संख्या 1.028%(* वास्तव के अनुसार)	4,24,836	(*)12509
ग.	2019-20 में सीएजीआर लदे एक्जिम कंटेनरों की संख्या यानी 1.028%	4,29,203	11,504
घ.	2020-21 में सीएजीआर लदे एक्जिम कंटेनरों की संख्या यानी 1.028%	4,33,615	11,622
ङ.	2021-22 में सीएजीआर लदे एक्जिम कंटेनरों की संख्या यानी 1.028%	4,38,073	11,742
च.	2022-23 में सीएजीआर लदे एक्जिम कंटेनरों की संख्या यानी 1.028%	4,42,576	11,862
छ.	2023-24 में सीएजीआर लदे एक्जिम कंटेनरों की संख्या यानी 1.028%	4,47,126	11,984
ज.	2024-25 में सीएजीआर लदे एक्जिम कंटेनरों की संख्या यानी 1.028%	4,51,722	12,108
झ.	2025-26 में सीएजीआर लदे एक्जिम कंटेनरों की संख्या यानी 1.028%	4,56,366	12,232
ञ.	2026-27 में सीएजीआर लदे एक्जिम कंटेनरों की संख्या यानी 1.028%	4,61,058	12,358
ट.	2027-28 में सीएजीआर लदे एक्जिम कंटेनरों की संख्या यानी 1.028%	4,65,797	12,485
ठ.	2028-29 में सीएजीआर लदे एक्जिम कंटेनरों की संख्या यानी 1.028%	4,70,586	12,613
ड.	10 वर्षों में प्रहस्तित किये जाने वाले लदे एक्जिम कंटेनरों की कुल संख्या	44,96,123	1,20,510
ढ.	प्रत्येक वर्ष प्रहस्तन किये जाने वाले लदे एक्जिम कंटेनरों की औसत संख्या	4,49,612	12,051
2	पूंजीगत निवेश	रु. में	रु. में
क.	सिविल अवसंरचना लागत जमा 18% जीएसटी	3,68,72,361	1,72,61,871
ख.	विद्युत प्रस्थापना लागत	52,75,393	29,91,037
ग.	एमएक्ससीएस सिस्टम प्रस्थापना लागत	19,53,36,061	19,53,36,061
घ.	विविध लागत @ 5% (क+ख+ग)	1,18,74,191	1,07,79,448
	कुल पूंजीगत निवेश	24,93,58,006	22,63,68,417
3	परिचालन निवेश (प्रति वर्ष)		
क.	विद्युत		
	कंटेनर स्कैनिंग में बिजली की खपत	52,95,332	1,52,084

ख.	मरम्मत और अनुरक्षण		
	(i). एमएक्ससीएस सिस्टम (अनुलग्नक-3)	1,26,92,347	1,01,53,877
	(ii). सिविल अवसंरचना @ 1%	3,87,159	1,72,619
	(ii). विद्युत प्रस्थापना @ 2%	1,10,783	59,821
	उप-योग: मरम्मत और अनुरक्षण लागत	1,31,90,290	1,03,86,317
ग.	बीमा @ 1%	24,93,580	22,63,684
घ.	मूल्यहास @10%	2,49,35,800	2,26,36,841
ङ.	अन्य व्यय		
	(i). सफाई और हाउसकीपिंग के लिए मानकशक्ति लागत	2,62,500	2,62,500
	(ii). सुरक्षा सेवा लागत	43,20,000	43,20,000
	(iii) विविध व्यय कुल पूंजीगत लागत @ 2.5%	62,33,950	56,59,210
	उप-योग : अन्य लागतें	1,08,16,450	1,02,41,710
	परिचालन लागत प्रति वर्ष [योग 3 = (क) + (ख) + (ग) + (घ) + (ङ)]	5,67,31,453	4,56,80,637
4	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल @ 16% कुल पूंजीगत निवेश का	3,98,97,281	3,62,18,947
5	वार्षिक राजस्व अपेक्षा		
क.	परिचालन लागत प्रति वर्ष	5,67,31,453	4,56,80,637
ख.	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल @ 16%	3,98,97,280	3,62,18,946
ग.	वार्षिक राजस्व अपेक्षा ग. = (क) + (ख)	9,66,28,734	8,18,99,584
6	प्रत्येक लदे एक्जिम कंटेनरों पर स्कैनिंग प्रभार = 5 (ग) / 1 (ढ)	214.92	6,796.07
	(राजस्व अपेक्षा)/(लदे एक्जिम कंटेनरों की औसत संख्या)		
	प्रत्येक लदे एक्जिम कंटेनर का स्कैनिंग प्रभार (जीएसटी रहित)	215	₹6,796

- (iv). विकल्प के रूप में, स्कैनर की लागत को टर्मिनल परियोजना लागत के अभिन्न अंग के रूप में समझते हुए मूल्य निकाला जा सकता है, न कि इसे अलग से एक परियोजना माना जाए। तदनुसार, स्कैनर को टर्मिनल का एक अभिन्न भाग समझते हुए, स्कैनिंग प्रभार 158/- रु. प्रति कंटेनर (जीएसटी के बिना) निकलता है। 158/-रु. प्रति कंटेनर के प्रशुल्क परिकलन का ब्यौरा, पीपीटी द्वारा यथाप्रस्तुत, इस प्रकार है:-

क.	पूंजीगत लागत	
क.	परियोजना की कुल पूंजीगत लागत (संदर्भ कांडला पत्तन प्रशुल्क)	3,16,65,00,000
ख.	कंटेनर स्कैनर की कुल लागत	22,63,68,417
ग.	कंटेनर स्कैनर को अभिन्न अंग मानते हुए परियोजना की कुल पूंजीगत लागत (क + ख)	3,39,28,68,417
ख.	परिचालन लागत आकलन	
क.	बिजली की लागत (8केडब्ल्यूएच X रु.9.49X637728 टीईयू)	4,84,16,309
ख.	ईंधन (4लीटरXरु.58.11 प्रति लीटरX637728 टीईयू)	14,82,33,496
ग.	सिविल आस्तियां (1% x 75.71 करोड़)	75,71,000
घ.	यांत्रिक और विद्युत कार्य (2% x308.16 करोड़)	6,19,00,000
ङ.	आईटी (5.63 करोड़ रु. का 2%)	11,00,000

च.	बीमा (3392868417 का 1%)	3,39,28,684
छ.	सिविल कार्य कंटेनर स्कैनर (1.72 करोड़ रु. का 1%)	1,72,619
ज.	यांत्रिक और विद्युत कार्य –कंटेनर स्कैनर (19.38 करोड़ का 2%)	39,66,542
झ.	अन्य विविध प्रभार- कंटेनर स्कैनर (1.07 करोड़ का 2%)	2,15,589
ञ	मूल्यहास	
	(i). सिविल निर्माण कार्य (75.71 करोड़ का 3.34%)	2,52,87,140
	(ii). यांत्रिक और विद्युत कार्य (233.80 करोड़ रु. का 10%)	23,38,00,000
	(iii). आईटी (5.63 करोड़ रु. का 16.67%)	93,85,210
	(iv). सिविल निर्माण कार्य- कंटेनर स्कैनर (1.72 करोड़ रु. का 3.34%)	5,81,725
	(v) यांत्रिक और विद्युत कार्य –कंटेनर स्कैनर (19.38 करोड़ का 10%)	1,98,32,710
	(vi) अन्य विविध प्रभार- कंटेनर स्कैनर (1.07 करोड़ का 16.67%)	17,96,934
ट.	लाइसेंस शुल्क	
	(i) भू-क्षेत्र (212034 वर्ग मीटर x 350.16 प्रति वर्ग मीटर)	7,42,45,825
ठ.	अन्य व्यय (0.5 मिलियन टीईयू से अधिक की क्षमता वाले टर्मिनल के लिए)(3392868417 का 10%)	33,92,86,842
	कुल परिचालन लागत	1,00,97,20,625
ग.	वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर)	
	(i). कुल परिचालन लागत	1,00,97,20,625
	(ii). नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (कुल पूंजीगत लागत का 16%)	54,28,58,947
	कुल राजस्व अपेक्षा	1,55,25,79,572
	वार्षिक राजस्व अपेक्षा वर्तमान परिकलन के अनुसार (करोड़ रु. में)	155.26
	घटा पहले हिसाब में लिया गया एआरआर (करोड़ रु. में)	146.64
	शेष- उपयोग किया जाने वाला (करोड़ रु. में)	8.62
	प्रति कंटेनर (6,37,728 टीईयू को विचार में लेते हुए)(रु. में)	135.17
	प्रति कंटेनर स्कैनिंग लागत (2014-15)	135.17
	2015-16 के लिए वृद्धि (सूचकांकन कारक 3.82%)	140.33
	2016-17 के लिए वृद्धि (सूचकांकन कारक शून्य)	140.33
	2017-18 के लिए वृद्धि (सूचकांकन कारक 2%)	143.14
	2018-19 के लिए वृद्धि (सूचकांकन कारक 3.45%)	148.08
	2019-20 के लिए वृद्धि (सूचकांकन कारक 4.26%)	154.39
	2020-21 के लिए वृद्धि (सूचकांकन कारक 1.88%)	157.29
	प्रत्येक कंटेनर के लिए प्रस्तावित स्कैनर प्रभार (जीएसटी रहित)	158

(व). प्रस्तावित निबंधन और शर्तें इस प्रकार हैं:

(क). स्कैनिंग प्रभार सभी लदे एक्जिम कंटेनरों पर लागू होंगे।

(ख). आयात/निर्यात कंटेनर के लिए दर समान होगी, कंटेनर का आकार चाहे कुछ भी हो।

3. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, पीपीटी का 2 मार्च, 2021 का और 17 मार्च, 2021 के ई-मेल का प्रस्ताव संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। मामले की अंतिमता तक किसी भी प्रयोक्ता/प्रयोक्ता संगठन से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

4. कोविड-19 महामारी को देखते हुए और तत्कालीन पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) के 16 अप्रैल, 2020 के पत्र संख्या 11053/30/2020-समन्वय के द्वारा वर्चुअल बैठकें आयोजित करने के निर्देशों के अनुसार, संदर्भाधीन मामले में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16 अप्रैल, 2021 को संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया। संयुक्त सुनवाई के दौरान पीपीटी और प्रयोक्ताओं ने अपने-अपने निवेदन रखे।

5.1. संयुक्त सुनवाई के दौरान, प्रयोक्ताओं द्वारा किये गए अनुरोध के आधार पर पीपीटी ने संसूचित किया कि वह फिलहाल तटीय कंटेनरों पर कंटेनर स्कैनर प्रभागों की उगाही में छूट दे सकता है और केवल विदेशी कंटेनरों पर ही उगाही करेगा। तदनुसार, पीपीटी को 21 अप्रैल, 2021 के पत्र के द्वारा उक्त स्थिति को अंतर्विष्ट करते हुए तथा तटीय कंटेनरों पर कंटेनर स्कैनर प्रभागों की उगाही पर छूट की समय-सीमा बताते हुए संशोधित प्रारूप दरमान प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

5.2. इस संबंध में, पीपीटी ने, 7 मई, 2021 के अपने पत्र के द्वारा, संशोधित प्रारूप दरमान और छूट की समय-सीमा प्रस्तुत की जो इस प्रकार है:-

(i). **दरमान**

विवरण	दर (रु. में) प्रति कंटेनर (जीएसटी रहित)
कंटेनर स्कैनिंग प्रभाग	158/-

(ii). **छूट की समय-सीमा:**

तटीय कंटेनरों के लिये स्कैनिंग प्रभागों में छूट भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 2 (दो) वर्ष के लिए होगी।

(iii). **निबंधन और शर्तें:**

- (क). स्कैनिंग प्रभाग सभी लदे एक्जिम कंटेनरों पर लागू होगा। छूट अवधि की समाप्ति के पश्चात् स्कैनिंग प्रभाग सभी लदे तटीय कंटेनरों पर भी लागू होगा।
- (ख). तटीय/एक्जिम कंटेनरों पर दर एक समान होगी उनका आकार चाहे कोई भी हो।
- (ग). स्कैनिंग प्रभाग लदे तटीय/एक्जिम कंटेनरों पर लागू होगा चाहे उन्हें स्कैन किया गया हो या ना।
- (घ). निर्धारित प्रशुल्क इसके प्रभावी होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और यह स्वतः वार्षिक सूचकांकन के अधीन होगा।

6. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्रवाई इस प्राधिकरण के कार्यालयी रिकॉर्ड में उपलब्ध है। संबंधित पक्षों द्वारा दी गयी टिप्पणियों का सार उनको पृथक से प्रेषित किया जाएगा। ये विवरण हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

7. मामले के संसाधन के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के आधार पर, निम्नलिखित सूचना उभर कर सामने आती है:-

- (i). सरकार के निदेश के आधार पर और व्यापार करने की सुगमता के अंतर्गत कंटेनरों के वास्तविक परीक्षण और ठहराव समय को कम करने के लिए परादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) ने पीपीटी में एक चल एक्सरे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम (एसएक्ससीएस) की प्रस्थापना की संकल्पना की है ताकि लदे कंटेनर स्कैन किये जा सकें। चूंकि पीपीटी अपने मौजूदा दरमानों में स्कैनर प्रभागों के लिये कोई दर उपलब्ध नहीं है, पीपीटी एमएक्ससीएस सिस्टम के परिचालन के लिए प्रशुल्क निर्धारण का प्रस्ताव लेकर आया है। पीपीटी के प्रस्ताव को न्यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त है।

- (ii). पीपीटी ने प्रस्ताव को आरम्भ में फरवरी - मार्च 2021 में दायर किया था। तत्पश्चात् संयुक्त सुनवाई में हुई चर्चा के आधार पर, पीपीटी ने मई 2021 में प्रस्तावित कंटेनर स्कैनर प्रभागों से संबंधित आरंभिक प्रस्तावित दरमानों में संशोधनों का प्रस्ताव किया। पीपीटी के फरवरी - मार्च 2021 के प्रस्ताव के साथ-साथ अपने प्रस्तावित दरमानों में पीपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को इस विश्लेषण में सुविचार के लिए लिया जाता है।
- (iii). प्रशुल्क नीति 2018 के खंड 7.6.1 के अनुसार, यदि पत्तन के दरमानों में किसी नई सेवा/कार्गो/उपस्कर/सुविधा के प्रशुल्क उपलब्ध न हो तो संबंधित महापत्तन न्यास किसी अन्य महापत्तन न्यास में तुलनीय कार्गो/उपस्कर/सेवा के लिए निर्धारित हों, यदि हों, उस प्रशुल्क और निष्पादन मानकों को अपना सकता है अथवा सेवा/सुविधा/उपस्कर की निर्धारित क्षमता अथवा तकनीकी विविधियों के आधार पर अथवा 2008 के दिशानिर्देशों के सिद्धांतों के अनुसार इष्टतम क्षमता निर्धारण के हवाले से कथित नई सेवा/कार्गो/उपस्कर/सुविधा की प्रशुल्क अधिसूचना के लिए प्रस्ताव दायर कर सकता है। दिशानिर्देश आगे और अनुबद्ध करते हैं कि यदि उक्त निर्धारित विकल्पों के आधार पर प्रशुल्क निर्धारण नहीं होता है तब महापत्तन न्यास पर्याप्त कारण बताते हुए लागत जमा 16% प्रतिफल सूत्र के आधार पर दरों का प्रस्ताव कर सकता है।
- इस संबंध में, यह बताया जाता है कि सरकार ने पत्तन परिसर में स्कैनर प्रस्थापित करने का निर्णय संसूचित करते समय (जहां स्कैनर प्रस्थापित करने के निर्देश दिये गए हैं) पत्तनों को यह निदेश भी दिया था कि लागत की वसूली के लिए प्रासमिक दरों को अपनायेंगे।
- इस पृष्ठभूमि में, पीपीटी ने स्कैनर प्रयोग की दर निर्धारित के लिए प्रस्ताव दायर किया है।
- (iv). पीपीटी ने परादीप अंतरराष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड [जिसके संदर्भ प्रशुल्क दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) के अपफ्रंट/संदर्भ प्रशुल्क अपनाते हुए निर्धारित किये गए थे] के अभिन्न भाग के रूप में स्कैनर की लागत पर सुविचार करते हुए कंटेनर स्कैनर की दरों का प्रस्ताव किया है।

इस संबंध में, यह स्मरण कराया जाता है कि, इस प्राधिकरण ने अपने 19 फरवरी 2014 के आदेश संख्या टीएमपी/10/2014-पीपीटी के द्वारा कंटेनर और स्वच्छ कार्गो प्रहस्त करने के लिए पीपीटी में बहुप्रयोजनीय बर्थ के विकास के संदर्भ प्रशुल्क निर्धारित किये थे। फरवरी 2014 के आदेश में, इस प्राधिकरण ने पीपीटी स्थित उसकी बहुप्रयोजनीय बर्थ के लिए दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) [पूर्ववर्ती कांडला पत्तन न्यास (केपीटी)] के कंटेनर टर्मिनल के संदर्भ प्रशुल्क अपनाये जाने के पीपीटी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। बाद में, पीपीटी ने 07 मार्च, 2015 को 30 वर्ष की अवधि के लिए कंटेनर और साफ कार्गो प्रहस्तन के लिए पीपीटी स्थित बहुप्रयोजनीय बर्थ के विकास के लिए डिजाइन, निर्माण, वित्त पोषण, परिचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर पीआईसीटीपीएल से रियायत करार (सीए) किया। तदनुसार, फरवरी 2014 में अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क को ग्राह्य थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा सूचकांकित करके पीआईसीटीपीएल के नाम से अधिसूचित कराया गया जब इसने 2018 में अपने परिचालन आरंभ किये।

अब, यह बताया गया है कि कंटेनरों का प्रहस्तन सामान्यतः पीआईसीटीपीएल द्वारा किया जाता है। पीपीटी ने पीआईसीटी टर्मिनल के एक अभिन्न अंग के रूप में स्कैनर की लागत को सुविचार में लेते हुए 158/-रु. प्रति लदा कंटेनर की दर पर निकाला है। पीपीटी ने इस संबंध में गणना भी प्रस्तुत की है।

इस संबंध में, यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि पीआईसीटीपीएल का प्रशुल्क संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश 2013 में समाविष्ट अनुबद्धताओं के आधार पर निर्धारित किया गया है। प्रशुल्क निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि ताकि परिचालन अपनी वार्षिक राजस्व अपेक्षा की भरपाई का सके जिसका मूल्यांकन परिचालन लागत और नियोजित पूंजी पर 16% प्रतिफल को हिसाब में लेकर किया गया था। तत्पश्चात्, संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश 2013 में समाविष्ट अनुबद्धताओं के अनुसार इस प्रकार निर्धारित प्रशुल्क सूचकांकन को प्रभावी कर वार्षिक परिवर्तन भी होगा।

पीपीटी द्वारा अपनायी गई प्रणाली के अनुपालन में कंटेनर स्कैनर के प्रशुल्क निर्धारण, से एआरआर में विध्न पड़ेगा, जिसके आधार पर पीआईसीटीपीएल के प्रशुल्क निर्धारित किये गए थे। इसके अतिरिक्त, पत्तन द्वारा अपनायी गई ऐसी पद्धति को प्रशुल्क नीति 2018 के खंड 7.6.1 में निर्धारित अनुबद्धताओं से

इतर देखा जाता है। उक्त को देखते हुए, यह प्राधिकरण, पीपीटी द्वारा अपनायी गई पद्धति के अनुरूप कंटेनर स्कैनर की दर निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है।

- (v). जैसी ऊपर चर्चा की गई है, प्रशुल्क नीति 2018 का खंड 7.6.1 अनुबद्ध करता है कि प्रशुल्क नीति 2018 के खंड 7.6.1 के अनुसार, यदि पत्तन के दरमानों में किसी नई सेवा/कार्गो/उपस्कर/सुविधा के प्रशुल्क उपलब्ध न हो तो संबंधित महापत्तन न्यास किसी अन्य महापत्तन न्यास में तुलनीय कार्गो/उपस्कर/सेवा के लिए निर्धारित हों, यदि हों, उस प्रशुल्क और निष्पादन मानकों को अपना सकता है अथवा सेवा/सुविधा/उपस्कर की निर्धारित क्षमता अथवा तकनीकी विविधियों के आधार पर अथवा 2008 के दिशानिर्देशों के सिद्धांतों के अनुसार इष्टतम क्षमता निर्धारण के हवाले से कथित नई सेवा/कार्गो/उपस्कर/सुविधा की प्रशुल्क अधिसूचना के लिए प्रस्ताव दायर कर सकता है।

इस संबंध में, यह स्मरण कराया जाता है कि 29 मार्च, 2019 के आदेश संख्या टीएएमपी/77/2018-वीपीटी में इस प्राधिकरण ने विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी) में चल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम परिचालन के लिए प्रशुल्क निर्धारित किया। वीपीटी में कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के प्रभारों का निर्धारण अप्रैल प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 में निर्धारित मुख्य सिद्धांतों को अपनाते हुए और प्रशुल्क नीति 2018 और उनको कार्यान्वित करने के कार्यकारी दिशानिर्देशों के क्रमशः खंड 7.6.1 और 5.7.1 में निर्धारित विधियों और प्रासमिक प्रशुल्क निकालने के लिए एमओएस के निर्णय को लागू करने के आधार पर किया गया था। यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि यद्यपि अप्रैल प्रशुल्क 2008 में निर्धारित मानक कंटेनर स्कैनर के लिए विशिष्ट मानक नहीं हैं, इसलिए वीपीटी ने तब अप्रैल प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 में निर्धारित सामान्य सिद्धांतों का मोटे तौर पर अनुपालन करते हुए और निर्धारित क्षमता के आधार पर अपना प्रस्ताव दायर किया था। अप्रैल प्रशुल्क दिशानिर्देश में इस प्रकार की सुविधा के लिए किन्हीं विशिष्ट मानकों के अभाव में, इस प्राधिकरण ने वीपीटी द्वारा अपनाई गई पद्धति के आधार पर चल एक्स-रे स्कैनर के परिचालन के लिए 151.93 रु. प्रति कंटेनर निर्धारित किया था।

- (vi). चूंकि वीपीटी में चल एक्स-रे स्कैनर के परिचालन का प्रशुल्क निर्धारण अप्रैल प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 में निर्धारित सामान्य सिद्धांतों और प्रशुल्क नीति 2018 में समाविष्ट अनुबद्धताओं के अनुसार निर्धारित क्षमता के आधार पर किया गया है, यह प्राधिकरण ग्राह्य सूचकांकन गुणक लागू करने के पश्चात् पीपीटी स्थित चल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम (एमएक्ससीएस) के लिए वीपीटी में कथित प्रशुल्क निर्धारण को अपनाने को प्रवृत्त है।

वीपीटी में 151.93 रु. प्रति कंटेनर का कंटेनर स्कैनर प्रशुल्क वर्ष 2019 में निर्धारित किया गया था। उक्त निर्धारित दर का भाग बना टिप्पण यह बताता है कि उक्त प्रशुल्क 1 जनवरी 2019 और संबंधित वर्ष की 1 जनवरी के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के विचलन में 60% की हद तक स्फीति को सूचकांकित किया जायेगा।

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए सूचकांकन गुणक लागू करने के पश्चात् दर 155.64 रु. प्रति कंटेनर निकलती है जो नीचे दर्शायी गई है:-

वर्ष	सूचकांकन गुणक	दर (रु. में)
2019	-	151.93
2020-21	1.88%	154.79
2021-22	0.55%	155.64

इस प्रकार, प्रस्तावित दर निकालने के लिए पीपीटी द्वारा अपनायी गई विधि के भले-बुरे में जाये बिना यह प्राधिकरण पीपीटी में चल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर का प्रशुल्क 155.64 रु. प्रति कंटेनर, जैसा ऊपर निकाला गया है, निर्धारित करने को प्रवृत्त है। इस प्रकार निकाली गई 155.64 रु. प्रति कंटेनर की दर पीपीटी द्वारा प्रस्तावित 158/-रु. प्रति कंटेनर की दर से मामूली सी ही कम है।

- (vii). संयुक्त सुनवाई के दौरान व्यापार द्वारा किये गए अनुरोध के आधार पर, पीपीटी ने तटीय कंटेनरों को इस आदेश की भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए स्कैनिंग प्रभारों की उगाही से छूट देने का प्रस्ताव किया है। प्रशुल्क नीति 2018 के खंड 7.1 के अनुसार, दरमानों में निर्धारित दरें अधिकतम स्तर होती हैं। पत्तन, यदि चाहे तो, निम्न दर प्रभारित कर सकता है। अतः पीपीटी को यह शिथिलता प्राप्त है कि वह किसी कार्गो/ कंटेनर के किसी प्रभार की उगाही से छूट दे सकता है। प्रस्तावित टिप्पणी अनुमोदित है।
- (viii). पीपीटी ने इस प्रभाव की टिप्पणियों का प्रस्ताव किया है कि स्कैनिंग प्रभार सभी लदे एक्विजम कंटेनरों पर लागू होगा। छूट अवधि की समाप्ति के पश्चात् स्कैनिंग प्रभार सभी लदे तटीय कंटेनरों पर भी लागू होगा। तटीय/एक्विजम कंटेनरों पर दर एक समान होगी उनका आकार चाहे कोई भी हो। स्कैनिंग प्रभार लदे तटीय/एक्विजम कंटेनरों पर लागू होगा चाहे उन्हें स्कैन किया गया हो या ना। चूंकि प्रस्तावित टिप्पण स्पष्टता देते हैं और द्विअर्थकता से बचाते हैं, प्रस्तावित टिप्पणियां अनुमोदित की जाती हैं।
- (ix). पीपीटी ने इस प्रभाव की भी एक टिप्पणी का प्रस्ताव किया है कि निर्धारित प्रशुल्क इसके प्रभावी होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और यह स्वतः वार्षिक सूचकांकन के अधीन होगा। चूंकि पत्तन ने अपने प्रस्ताव में लागत को 10 वर्ष में वसूल करने का प्रस्ताव किया है, अतः प्रस्तावित टिप्पणी भी अनुमोदित की जाती है।
- (x). यद्यपि, पीपीटी ने यह संकेत दिया है कि प्रशुल्क स्वतः वार्षिक सूचकांकन के अधीन होगा, इसने सूचकांकन गुणक की दर से संबंधित किसी टिप्पणी का कोई प्रस्ताव नहीं किया है। इस संबंध में, यह दिया गया है कि पीपीटी स्थिति कंटेनर स्कैनर के लिए वीपीटी का प्रशुल्क अपनाया गया है, वीपीटी के आदेश में दर्शायी गई सूचकांकन की दर उपयुक्त आशोधन के साथ अपनायी जाती है। तदनुसार एक टिप्पणी निर्धारित की जाती है कि उक्त प्रशुल्क 1 जनवरी 2019 और संबंधित वर्ष की 1 जनवरी के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के विचलन में 60% की हद तक स्फीति को सूचकांकित किया जायेगा। प्रशुल्क सीमा का ऐसा स्वतः समंजन प्रत्येक वर्ष किया जायेगा और समंजित प्रशुल्क सीमा संबंधित वर्ष की 1 मई से लागू होगी और आगामी वर्ष की 30 अप्रैल तक लागू रहेगी।

8.1. परिणाम में और ऊपर दिये गए कारणों से, और सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर, पीपीटी में चल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम परिचालन से संबंधित निम्नलिखित उपबंध अनुमोदित किये जाते हैं:-

“पीपीटी में चल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम (एसएक्ससीएस) परिचालन

विवरण	दर (रु.में) प्रति कंटेनर (जीएसटी रहित)
कंटेनर स्कैनिंग प्रभार	155.64

(i). **छूट की समय-सीमा:**

तटीय कंटेनरों के स्कैनिंग प्रभारों में छूट भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 2 (दो) वर्ष के लिए होगी।

(ii). **निबंधन और शर्तें:**

- (क). स्कैनिंग प्रभार सभी लदे एक्विजम कंटेनरों पर लागू होगा। छूट अवधि की समाप्ति के पश्चात् स्कैनिंग प्रभार सभी लदे तटीय कंटेनरों पर भी लागू होगा।
- (ख). तटीय/एक्विजम कंटेनरों पर दर एक समान होगी उनका आकार चाहे कोई भी हो।
- (ग). स्कैनिंग प्रभार लदे तटीय/एक्विजम कंटेनरों पर लागू होगा चाहे उन्हें स्कैन किया गया हो या ना।
- (घ). निर्धारित प्रशुल्क इसके प्रभावी होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और यह स्वतः वार्षिक सूचकांकन के अधीन होगा।

(ङ). ऊपर निर्धारित प्रशुल्क तदनुसार एक टिप्पणी निर्धारित की जाती है कि उक्त प्रशुल्क 1 जनवरी, 2019 और संबंधित वर्ष की 1 जनवरी के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के विचलन में 60% की हद तक स्फीति को सूचकांकित किया जायेगा। प्रशुल्क सीमा का ऐसा स्वतः समंजन प्रत्येक वर्ष किया जायेगा और समंजित प्रशुल्क सीमा संबंधित वर्ष की 1 मई से लागू होगी और आगामी वर्ष की 30 अप्रैल तक लागू रहेगी।”

8.2. पीपीटी को उक्त उपबंधों को अपने दरमानों में उपयुक्त रूप से अंतर्विष्ट करने का निदेश दिया जाता है।

8.3. उक्त उपबंध इस आदेश के भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होंगे और स्वतः वार्षिक सूचकांकन के अधीन इनके प्रभावी होने की तारीख से 10 वर्ष तक की अवधि के लिए वैध रहेंगे।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./275/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th September, 2021

No. TAMP/15/2021-PPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Paradip Port Trust for fixation of Container Scanning tariff for loaded container, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/15/2021-PPT

Paradip Port Trust

Applicant

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 7th day of September, 2021)

This case relates to a proposal received from the Paradip Port Trust (PPT) for fixation of Container Scanning tariff for loaded container.

1.2. The PPT vide its letter No. TD/TM/GEN-250/2020-21/399 dated 24 February, 2021 has filed a proposal for fixation of Container Scanning tariff for loaded container. Since the said proposal was incomplete, the PPT was requested vide letter dated 2 March, 2021 to furnish the draft SOR, list of users and the Board Resolution approving the subject proposal. The PPT has furnished the requisite information vide its email dated 17 March, 2021.

2.1. The submission made by the PPT in its letter No. TD/TM/GEN-250/2020-21/399 dated 24 February, 2021 are given below:

(i). PPT has procured and installed one Mobile X-Ray Container Scanning System (MXCS) at a total cost of ₹. 29.68 Crores through M/s. Smiths Detection (Asia Pacific). The equipment is procured to reduce physical examination and dwell time of containers in the Port under Ease of Doing Business. The above cost includes two years on-site warranty and 08 years Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) with spares and consumables. The proposal of procurement & installation of MXCS has been ratified by the Board of Trustees vide Resolution No. 69/2017-18 in meeting held on 23.03.2018.

(ii). The Board of Trustees vide resolution No. 90/2020-21 in the meeting no. 04/2020-21 dated 29.01.2021 has resolved to fix the tariff @ ₹ 158/- per container towards container scanning charges for loaded containers taking the cost of container scanner as an integral part of the PICT. After successful commissioning of the MXCS, the same would be handed over to the Custom Commissionerate for regular operation.

2.2. Accordingly, the proposed tariff i.e. ₹ 158/- per loaded container for container scanning charges for the year 2020-21 and beyond has been submitted by PPT for approval.

2.3. The other main points made by the PPT in its proposal dated 24 February, 2021 are given below:

- (i). To reduce the physical examination and dwell time of containers in the Port under Ease of Doing Business, Paradip Port Trust has procured & installed one Mobile X-Ray Container Scanning System (MXCS) at a total cost of ₹.29.68 Crore through M/s. Smiths Detection (Asia Pacific). This includes two years on-site warranty and 08 years Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) with spares and consumables. After installation, the MXCS has passed Site Acceptance Test (SAT) on 18.12.2020 and Customs Officials Operators' training programme has been completed. After one month successful trial run of the MXCS, the same would be handed over to the Customs officials for regular operation as informed by IPA earlier. The proposal of procurement & installation of MXCS has been ratified by the Board of Trustees vide Resolution No.69/2017-18 in meeting held on 23.03.2018.
- (ii). Initially, Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MOPSW) [then Ministry of Shipping (MOS)] vide letter dated 31.01.2018 directed that no cess is to be levied on the trade by the Port for the time being for operation of MCXS and the Port can submit a proposal seeking budgetary support, if so required, at a later stage for meeting the capital cost. (Copy of MOPSW letter is furnished by PPT). Subsequently, MoS vide letter dated 12.07.2018 informed all Major Ports to follow normative rates for cost recovery of the MXCS and to take up the proposal with TAMP for fixation of tariff after establishing the project cost (Copy of MOPSW letter is furnished by PPT). It was also decided in the review meeting dated 12.06.2018 held in IPA conference Hall that after establishing the project cost, the respective port will file normative rates to TAMP for approval for cost recovery.
- (iii). Taking the capital and operating costs of the MXCS into account, it is derived that PPT has to fix scanning charge @ ₹. 6,796/- per container to recover the cost within 10 years period, (Calculation is furnished by PPT). The above rate is exorbitantly high in comparison to nearby Ports (viz. Kolkata @ ₹. 215/- and Vizag @ ₹. 152/-) since the volume of container handling at PPT is abysmally low. While the average price for handling a container at PPT as notified by TAMP is approx. ₹. 4,000/-, the price of scanning @ ₹. 6,796 per container appears to be a non-viable proposition. Further, scanning of container is now a mandatory requirement by the regulator and cost recovery at the above normative rate may not be planned with very low base of containers. The detailed calculation for arriving at the rate considering capital and operating costs of the MXCS on cost plus 16% return basis, as furnished by PPT is as follows:

Sr. No.	Particulars	As considered by TAMP for KDS	Estimate of PPT (as per TAMP approval for KDS)
1	No. of loaded Exim Containers handled at PPT		
a.	Actual no of loaded Exim Containers in 2017-18 (*As per Actual)	4,20,513	(*)6837
b.	Compound Annual Growth Rate (CAGR) taken from AECOM report	1.028%	
	No of loaded Exim Containers in 2018-19 @ CAGR i.e. 1.028% (* As per Actual)	4,24,836	(*)12509
c.	No of loaded Exim Containers to be handled in 2019-20 @ CAGR i.e. 1.028%	4,29,203	11,504
d.	No of loaded Exim Containers to be handled in 2020-21 @ CAGR i.e. 1.028%	4,33,615	11,622
e.	No of loaded Exim Containers to be handled in 2021-22 @ CAGR i.e. 1.028%	4,38,073	11,742
f.	No of loaded Exim Containers to be handled in 2022-23 @ CAGR i.e. 1.028%	4,42,576	11,862
g.	No of loaded Exim Containers to be handled in 2023-24 @ CAGR i.e. 1.028%	4,47,126	11,984

h.	No of loaded Exim Containers to be handled in 2024-25 @ CAGR i.e. 1.028%	4,51,722	12,108
i.	No of loaded Exim Containers to be handled in 2025-26 @ CAGR i.e. 1.028%	4,56,366	12,232
j.	No of loaded Exim Containers to be handled in 2026-27 @ CAGR i.e. 1.028%	4,61,058	12,358
k.	No of loaded Exim Containers to be handled in 2027-28 @ CAGR i.e. 1.028%	4,65,797	12,485
l.	No of loaded Exim Containers to be handled in 2028-29 @ CAGR i.e. 1.028%	4,70,586	12,613
m.	Total no. of loaded Exim Containers to be handled in 10 years	44,96,123	1,20,510
n.	Average no of loaded Exim Containers to be handled each year(Annexure-1)	4,49,612	12,051
2	Capital Investment	₹.	₹.
a.	Civil Infrastructure Cost Plus GST @ 18%	3,68,72,361	1,72,61,871
b.	Electrical Installation Cost	52,75,393	29,91,037
c.	MXCS System Installation Cost	19,53,36,061	19,53,36,061
d.	Miscellaneous Cost @ 5% of (a+b+c)	1,18,74,191	1,07,79,448
	Total Capital Investment	24,93,58,006	22,63,68,417
3	Operational Investment (per annum)		
a.	Power		
	Electrical Power consumption in Scanning containers	52,95,332	1,52,084
b.	Repairs and maintenance		
	(i). On MXCS System(Annexure-3)	1,26,92,347	1,01,53,877
	(ii). On Civil Infrastructure @ 1%	3,87,159	1,72,619
	(ii). On Electric Installation @ 2%	1,10,783	59,821
	Subtotal : Repairs and Maintenance cost	1,31,90,290	1,03,86,317
c.	Insurance @ 1%	24,93,580	22,63,684
d.	Depreciation @10%	2,49,35,800	2,26,36,841
e.	Other expenses		
	(i). Manpower cost towards cleaning & housekeeping	2,62,500	2,62,500
	(ii). Cost towards Security services	43,20,000	43,20,000
	(iii) Miscellaneous expenditure@ 2.5% of total capital cost	62,33,950	56,59,210
	Subtotal : Other Costs	1,08,16,450	1,02,41,710
	Operational Cost per annum [Total 3 = (a) + (b) + (c) +(d)+ (e)]	5,67,31,453	4,56,80,637
4	Return on Capital Employed @ 16% on Total Capital investment	3,98,97,281	3,62,18,947
5	Annual Revenue Requirement		
a.	Operational Cost per annum	5,67,31,453	4,56,80,637
b.	Per annul return on Capital Employed @ 16%	3,98,97,280	3,62,18,946
c.	Annual Revenue Requirement c.= (a) + (b)	9,66,28,734	8,18,99,584
6	Scanning Charged on each loaded Exim Containers = 5 (c) / 1 (n)	214.92	6,796.07
	(Revenue Requirement) / (Average no of Loaded Exim Containers)		
	Scanning charges on each loaded Exim Container (Excluding GST)	215	₹6,796

- (iv). As an alternative, the cost of the scanner may be treated as an integral part of the terminal project cost and then price may be derived, rather than treating it as a separate project in itself. Accordingly, the scanning charge has been calculated @ ₹.158/- per container (excluding GST) considering the scanner as an integral part of the Terminal. Detailed calculation for fixation of tariff @ ₹.158/- per container as furnished by PPT is as follows:

A.	Capital Cost	
a.	Total Capital Cost of the Project (Reference Kandla Port Tariff)	3,16,65,00,000
b.	Total Cost of Container Scanner	22,63,68,417
c.	Total Capital cost of the project considering the container Scanner as an Integral part(a+b)	3,39,28,68,417
B.	Operating Cost Estimation	
a.	Power Cost(8KWH* ₹.9.49*637728 TEUs)	4,84,16,309
b.	Fuel(4Litres* ₹. 58.11 per Litre*637728 TEUs)	14,82,33,496
c.	Civil Assets(1% * ₹ 75.71 Crores)	75,71,000
d.	Mechanical & Electrical Works(2% * ₹.308.16Crores)	6,19,00,000
e.	IT(2% of ₹.5.63Crore)	11,00,000
f.	Insurance(1% of ₹. 3392868417)	3,39,28,684
g.	Civil Work-Container Scanner(1% of ₹.1.72 Crore)	1,72,619
h.	Mechanical & Electrical Works-Container Scanner(2% of ₹.19.83Crore)	39,66,542
i.	Other Miscellaneous Charges-Container Scanner(2% of ₹. 1.07Crore)	2,15,589
j.	Depreciation	
	(i) Civil Work(3.34% of ₹.75.71 Crore)	2,52,87,140
	(ii) Mechanical & Electrical Works(10% of ₹.233.80 Crore)	23,38,00,000
	(iii) IT(16.67% of ₹.5.63Crore)	93,85,210
	(iv) Civil Work-Container Scanner(3.34% of ₹.1.72 Crore)	5,81,725
	(v) Mechanical & Electrical Works-Container Scanner(10% of ₹. 19.83 Crore)	1,98,32,710
	(vi) Other Miscellaneous Charges-Container Scanner(₹.16.67% of ₹.1.07Crore)	17,96,934
k.	License Fee	
	(i) Land Area(212034 Sqm* ₹.350.16 Per Sqm)	7,42,45,825
l.	Other Expenses(for terminals having capacity more than 0.5 million TEUs)(10% of ₹.3392868417)	33,92,86,842
	Total Operating Cost	1,00,97,20,625
C.	Annual Revenue Requirement(ARR)	
	(i)Total Operating Cost	1,00,97,20,625
	(ii)Return on Capital Employed(@16% of Total Capital Cost)	54,28,58,947
	Total Revenue Requirement	1,55,25,79,572
	Annual Revenue requirement(ARR) as per Current Calculation(in Crores)	155.26
	Less ARR already taken (in Crores)	146.64
	Balance to be Utilized (in Crores)	8.62
	Per Container (Considering 6,37,728 TEUs)(in ₹.)	135.17
	Scanning Cost Per Container(2014-15)	135.17

	Escalation for 2015-16 (Indexation Factor 3.82%)	140.33
	Escalation for 2016-17 (Indexation Factor NIL)	140.33
	Escalation for 2017-18 (Indexation Factor 2%)	143.14
	Escalation for 2018-19 (Indexation Factor 3.45%)	148.08
	Escalation for 2019-20 (Indexation Factor 4.26%)	154.39
	Escalation for 2020-21 (Indexation Factor 1.88%)	157.29
	Proposed Scanning Charge for each Container(Excluding GST)	158

(v). The suggested terms & condition are as follows:

- (a). The Scanning Charge shall be applicable to all loaded EXIM containers.
- (b). The rate shall be same for Export/ Import containers irrespective of the size of the Containers.

3. In accordance with the consultative procedure prescribed, the proposal of PPT vide its letter dated 2 March, 2021 and email dated 17 March, 2021 was forwarded to the concerned users/ user organisations seeking their comments. None of the users/ user organisations have furnished their comments till the case was finalised.

4. In view of the outbreak of COVID – 19 and in pursuance of the then Ministry of Shipping (MOS) letter No. 11053/30/2020-Coord. dated 16 April, 2020 to hold virtual meetings, a joint hearing on the case in reference was held on 16 April, 2021 through Video Conferencing. At the joint hearing, the PPT and the users have made their submissions.

5.1. During the joint hearing, based on the request made by the users, the PPT had conveyed that it can initially exempt the levy of the container scanner charges on the coastal containers for the time being and levy it on the foreign containers only. Accordingly, the PPT was requested vide letter dated 21 April, 2021 to furnish the revised draft Scale of Rates incorporating the above said position and the time frame for exemption of the levy on container scanner charges on the coastal containers may be specified.

5.2. In this regard, the PPT vide its letter dated 7 May, 2021 has furnished the revised draft Scale of Rates and time frame for exemption which are as follows:

(i). **Draft Scale of Rate**

Description	Rate (In ₹) per container (Excluding GST)
Scanning charges of Containers	158/-

(ii). **Time frame for Exemption:**

The Scanning charge for coastal containers will be exempted for 2 (two) years from the date of notification of the Order in the Gazette of India.

(iii). **Terms and Conditions:**

- (a). Scanning charge shall be applicable to all loaded EXIM containers. The Scanning charges shall be applicable to all loaded coastal containers after the exemption period.
- (b). The rate shall be same for Coastal/ EXIM containers irrespective of the size of the containers.
- (c). The scanning charge shall be applicable to loaded Coastal / EXIM Containers irrespective of being scanned or not.
- (d). The tariff prescribed will be valid for a period of 10 years from the date it comes into effect subject to automatic annual indexation.

6. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the arguments made during the joint hearing will be sent separately to the port and relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

7. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

- (i). Based on the direction of the Government and with a view to reduce physical examination and dwell time of containers in the Port under Ease of Doing Business, the Paradip Port Trust (PPT) envisages installation of a Mobile X-Ray Container Scanning (MXCS) System at the PPT, for scanning the Loaded Containers. Since no rate is available in the existing Scale of Rates of PPT towards Scanner charges, the PPT has come up with a proposal for fixation of tariff for operation of MXCS system. The proposal of PPT has the approval of its Board of Trustees.
- (ii). The proposal was initially filed by PPT in February – March 2021. Subsequently, based on the discussions during the joint hearing, the PPT in May, 2021 has proposed changes to its initial proposed Scale of Rates relating to the proposed container scanner charges. The said proposal of PPT of February – March 2021 alongwith the changes proposed by PPT in its proposed Scale of Rates is considered in the analysis.
- (iii). As per Clause 7.6.1 of the Tariff Policy, 2018, when a tariff for a new service/ cargo/ equipment/ facility is not available in the SOR of the port, the concerned Major Port Trust can either adopt the tariff and performance standards if any fixed for comparable cargo/ equipment/ service in any Major Port Trust, or can file a proposal for notification of tariff for the said new cargo/ equipment/ service/ facility with reference to optimal capacity assessed following the principles of 2008 guidelines or based on rated capacity or technical specification of service/ facility/ equipment. The Guideline further stipulates that if determination of tariff based on the above prescribed options is not available, then the Major Port Trusts after giving sufficient reasons may propose rates based on cost plus 16% return formula.

In this regard, it is to state that the Government while conveying its decision to install the Scanner at the port premises have directed the ports (where the scanners have been directed to be deployed) to follow Normative rates for recovery of cost.

It is in this backdrop that the proposal has been filed by the PPT for fixation of rate for use of Scanner.

- (iv). The PPT has proposed the rate for the Container Scanner by considering the cost of Scanner as an integral part of the Paradip International Cargo Terminal Private Limited (PICTPL) [whose Reference tariff was fixed by adopting the upfront/ reference tariff of Deendayal Port Trust (DPT)].

In this connection, it is recalled that this Authority vide its Order no. TAMP/10/2014-PPT dated 19 February, 2014 had fixed Reference tariff for Development of Multipurpose Berth at PPT to handle Containers and clean cargo. In the Order of February 2014, this Authority had approved the proposal of the PPT to adopt the Reference tariff of the Container terminal of the Deendayal Port Trust (DPT) [erstwhile Kandla Port Trust (KPT)], for its Multipurpose Berth at PPT. Subsequently, the PPT has entered into Concession Agreement (CA) with PICTPL for development of Multipurpose Berth at PPT to handle Containers and clean cargo on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis on 07 March, 2015 for a period of 30 years. Thereafter, the Reference Tariff approved in February 2014 was indexed by the applicable Wholesale Price Index (WPI) and notified in the name of PICTPL, when it had commenced its operations in the year 2018.

Now, given that the Containers are generally handled at PICTPL, the PPT has worked out the rate for the container scanner at ₹ 158/- per Loaded Container, by considering the cost of Scanner as an integral part of the PICT terminal. The PPT has furnished workings in this regard.

In this connection, it is relevant here to mention that the tariff of the PICTPL has been fixed based on the stipulations contained in the Reference Tariff Guidelines of 2013. Tariff has been fixed in such a manner so as enable the operator meet its Annual Revenue Requirement, which has been assessed taking into account the operating costs and 16% Return on the Capital costs. Thereafter, the tariff so fixed undergoes a change annually, only to capture the effect of indexation, as per the stipulations contained in the Reference Tariff Guidelines of 2013.

Fixing the tariff for the container scanner, following the methodology as followed by PPT, is likely to disturb the ARR, based on which the tariff for the PICTPL has been fixed. Further, such an approach as proposed by the Port is seen to be beyond the stipulation prescribed in Clause 7.6.1 of the Tariff Policy, 2018. In view of the above, this Authority is not in a position to prescribe rate for the Container Scanner, following the methodology adopted by the PPT.

- (v). As brought out above, Clause 7.6.1 of the Tariff Policy, 2018 stipulates that when a tariff for a new service/ cargo/ equipment/ facility is not available in the SOR of the port, the concerned Major Port Trust can either adopt the tariff and performance standards if any fixed for comparable cargo/ equipment/ service in any Major Port Trust, or can file a proposal for notification of tariff for the said new cargo/ equipment/ service/ facility with reference to optimal capacity assessed following

the principles of 2008 guidelines or based on rated capacity or technical specification of service/facility/ equipment.

In this regard, it may be recalled that this Authority vide its Order no. TAMP/77/2018-VPT dated 29 March, 2019 has fixed tariff for the operation of Mobile X-Ray Container Scanning system at Visakhapatnam Port Trust (VPT). The charges for the Container Scanning System at VPT was fixed broadly on norm basis following the broad principles prescribed in the upfront tariff guidelines of 2008 which is one of the methods prescribed in clause 7.6.1 and 5.7.1 of the Tariff Policy, 2018 and Working Guidelines on the said Tariff Policy respectively and also to comply with the decision of the MOS to arrive at normative tariff. It is relevant here to state that though there are no specific norms prescribed in the Upfront Tariff Guidelines of 2008 for Container Scanner, the VPT had then filed its proposal broadly following the general principles prescribed in the upfront tariff guidelines of 2008 and based on the rated capacity. In the absence of any specific norms prescribed in the Upfront Tariff Guidelines for this kind of facility, this Authority had fixed the tariff for operation of mobile X- Ray Scanner at ₹ 151.93 per container, based on the approach adopted by the VPT.

- (vi). Since the tariff for operation of mobile X- Ray Scanner at VPT has been fixed broadly following the general principles prescribed in the upfront tariff guidelines of 2008 and based on the rated capacity as per the stipulations contained in the Tariff Policy, 2018, this Authority is inclined to adopt the said tariff fixed in VPT for the Mobile X-Ray Container Scanning System (MXCS) at PPT also, after applying the applicable indexation factor

The tariff of the Container Scanner at VPT at ₹ 151.93 per container was fixed in the year 2019. The note forming part of the said prescribed rate states that the said tariff will be indexed to inflation to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1st January, 2019 and 1st January of the relevant year.

After applying the indexation factor for the years 2020-21 and 2021-22, the rate works out ₹ 155.64 per container, as shown below:

Year	Indexation factor	Rate in ₹
2019	-	151.93
2020-21	1.88%	154.79
2021-22	0.55%	155.64

Thus, this Authority is inclined to fix the tariff for the Mobile X-Ray Container Scanner at PPT at ₹ 155.64 per container, as worked out above, without going into the nitty gritty of the methodology adopted by PPT to arrive at its proposed rate. The rate so worked out at ₹ 155.64 per container is seen to be marginally lower than the rate of ₹ 158/- per container as proposed by the Port.

- (vii). Based on the request made by the Trade during the joint hearing, the PPT has proposed to exempt coastal containers from the levy of Scanning charge for a period of two years from the date of notification of this Order in the Gazette of India. As per Clause 7.1 of the Tariff Policy, 2018, the rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels. The ports may, if they so desire, charge lower rates. Thus, the PPT has flexibility to exempt levy of any charges on any category of cargo/ container. The proposed note is approved.
- (viii). The PPT has proposed notes to the effect that Scanning charge shall be applicable to all loaded EXIM containers and that the rate shall be same for Coastal/ EXIM containers irrespective of the size of the containers and that the scanning charge shall be applicable to loaded Coastal/ EXIM Containers irrespective of being scanned or not. Since the proposed notes give clarity and would avoid ambiguity, the proposed notes are approved.
- (ix). The PPT has also proposed a note to the effect that the tariff prescribed will be valid for a period of 10 years from the date it comes into effect subject to automatic annual indexation. Since the port in its proposal had proposed to recover the cost over a period of 10 years, the proposed note is also approved.
- (x). Though the PPT has indicated that the tariff will be subject to automatic annual indexation, it has not proposed any note relating to the rate of indexation factor. In this regard, given that the tariff of VPT has been adopted for the Container Scanner at the PPT, the rate of indexation as indicated in the VPT Order is adopted with suitable modification. Accordingly, a note is prescribed that the tariff will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index

(WPI) occurring between 1st January, 2021 and 1st January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff cap will be made every year and the adjusted tariff cap will come into force from 1st May of the relevant year to 30th April of the following year.

8.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, the following provision relating to operation of Mobile X-Ray Container Scanning System at PPT, is approved:

“Scanning Charge for Mobile X-Ray Container Scanning (MXCS) System at PPT.

Description	Rate (In ₹) per container (Excluding GST)
Scanning charges of Containers	155.64

(i). **Time frame for Exemption:**

The Scanning charge for coastal containers will be exempted for 2 (two) years from the date of notification of the Order in the Gazette of India.

(ii). **Terms and Conditions:**

- (a). Scanning charge shall be applicable to all loaded EXIM containers. The Scanning charges shall be applicable to all loaded coastal containers after the exemption period.
- (b). The rate shall be same for Coastal/ EXIM containers irrespective of the size of the containers.
- (c). The scanning charge shall be applicable to loaded Coastal/ EXIM Containers irrespective of being scanned or not.
- (d). The tariff prescribed will be valid for a period of 10 years from the date it comes into effect subject to automatic annual indexation.
- (e). The tariff prescribed above will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1st January, 2021 and 1st January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff cap will be made every year and the adjusted tariff cap will come into force from 1st May of the relevant year to 30th April of the following year.”

8.2. The PPT is directed to incorporate the above said provisions in its Scale of Rates, suitably.

8.3. The said provision shall come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of this Order passed in the Gazette of India and shall remain valid for a period of 10 years from the date it comes into effect, subject to automatic annual indexation.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./275/2021-22]